राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ़

क्रमांक : न्यायालय राजस्व/2023/प्रसं.–149/2023 दिनांक : 7 अगस्त, 2023

:: खाता शुद्धि आदेश ::

तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 एवं 136 अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि ग्राम सांगरिया की हाल आराजी नम्बर 294 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म बंजड 1 बिलानाम सरकार की तरमीम ट्यूबवेल जैसी आकृति में की हुई है, जिसका रकबा 0.01 हैक्टेयर है। ग्राम सांगरिया की ही आराजी नम्बर 294/635 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म ट्यूबवेल की तरमीम रकबा 0.20 हैक्टेयर पर की हुई है। गत नक्शा एवं मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त दोनों आराजी नम्बर साबिक आराजी नम्बर 234 से ही बने होकर आराजी नम्बर 294 रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि गत आराजी नम्बर 234 मी. रकबा 16 बिस्वा तथा हाल आराजी नम्बर 294/635 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि साबिक आराजी नम्बर 621/234 रकबा 1 बिस्वा से बना है। हाल भू–प्रबन्ध नक्शा में आराजी नम्बर 294 के स्थान पर आराजी नम्बर 294/635 तथा आराजी नम्बर 294/635 के स्थान पर आराजी नम्बर 294 तरमीम दर्ज किया जाना मौका व रिकार्ड अनुसार होकर उचित है।

ग्राम सांगरिया की वर्तमान आराजी नम्बर 294 का रकबा 0.20 हैक्टेयर होकर इस आराजी की तरमीम ट्यूबवेल जैसी आकृति में की हुई है जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.01 हैक्टेयर हैं एवं आराजी नम्बर 294/635 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म ट्यूबवेल की तरमीम रकबा 0.20 पर की हुई है जो त्रुटिपूर्ण तरमीम होना साबित होता है।

अतः तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित अनुसार आराजी नम्बर 294 के स्थान पर आराजी नम्बर 294/635 तथा आराजी नम्बर 294/635 के स्थान पर आराजी नम्बर 294 तरमीम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा आदेशानुसार नक्शें में तरमीम करवावें।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

क्रमांक : न्यायालय राजस्व/2023/प्रसं.–149/2023 दिनांक : 7 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. तहसीलदार निम्बाहेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करवावें।
2. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:12:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा